

न्यायालय अपील अधिकारी (जिला कलेक्टर) सीकर
पीठासीन अधिकारी, मुकुल शर्मा आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या: 06/2025/प्रथम अपील

राजेन्द्र जिलोवा, ग्राम-डागरा, पो. बादूसर, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर(राज.)
332317, मो.न. 8141647811

-अपीलान्त

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) सीकर

-रेस्पोडेन्ट

**सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-19(1) के अन्तर्गत प्रथम अपील
निर्णय**

दिनांक... 17.03.25...




1. यह अपील अपीलार्थी **राजेन्द्र जिलोवा** के द्वारा लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) सीकर से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के अनुसार चाही गयी सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाने पर पेश की गई है।
2. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया जाकर अपील के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई।
3. आवेदक द्वारा अपने आवेदन दिनांक **16.12.2024** में लोक सूचना अधिकारी से ग्राम पंचायत बादूसर, ग्राम-डागरा, जिला सीकर की वर्ष 2019 से 2024 तक की पट्टा योजना एवं विनियमन से संबंधित सूचना चाही है।
4. सुनवाई के लिए नियत तिथि को अपीलार्थी स्वयं अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने पत्र दिनांक **17.02.2025** से अवगत करवाया गया है कि आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के तहत चाही गई सूचना इस कार्यालय से सम्बन्धित न होकर ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत-बादूसर के कार्यालय से सम्बन्धित होने के कारण, अपीलार्थी का आवेदन मूल ही सूचना का अधिकार

↓
(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत जरिये पत्रांक आरटीआई/आर-341(3)/2024/02 दिनांक 02.01.2025 के द्वारा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत-बादूसर को अन्तरित करते हुए अपीलान्ट/प्रार्थी को सूचनार्थ पत्र भिजवाया जा चुका है। अतः अपीलोत्तर रिकॉर्ड पर लिया जाकर अपील खारिज करने का श्रम फरमावें।

5. हमने पत्रावली का बगौर अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन के अनुसार सूचना चाही गयी थी। आवेदक द्वारा चाही गई वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) सीकर के कार्यालय से सम्बन्धित न होकर अन्य किसी कार्यालय से है। जिसकी सूचना लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) सीकर के द्वारा अपीलार्थी को अपने पत्रांक आरटीआई/आर-341(3)/2024/02 दिनांक 02.01.2025 के द्वारा अपीलांट को भिजवा दी गई है, जिसकी फोटोप्रति भी लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) सीकर के द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जिसके आधार पर लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) सीकर का प्रत्युत्तर समुचित प्रतीत होता है।
6. उक्त वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट **खारिज** की जाती है। निर्णय की प्रति उभय पक्षकारों को प्रेषित हो।
7. उक्त आदेश के विरुद्ध, द्वितीय अपील माननीय राजस्थान सूचना आयोग झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर में 90 दिवस में की जा सकती है, जिसके लिए अपीलांट स्वतंत्र है।




 (मुकुल शर्मा)
 प्रथम अपील अधिकारी
 जिला कलेक्टर, सीकर
 (मुकुल शर्मा)
 जिला कलेक्टर, सीकर